पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—13] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 ई0 (24 अग्रहायण, 1934 शक सम्वत्) [संख्या—50

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग—अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग—अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	719—721	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1369—1383	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

27 नवम्बर, 2012 ई0

संख्या 1712/XXX–1–2012–12(04)/05–भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित तिथि के अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगेः–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल	27.01.1953	31.01.2013
2.	श्रीमती विनीता कुमार	22.04.1953	30.04.2013
3.	श्री रमेश चन्द्र पाठक	15.06.1953	30.06.2013
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	08.06.1953	30.06.2013
5.	श्री सुवर्द्धन	19.06.1953	30.06.2013

डी0 के0 कोटिया,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 1004/XIII(2)/2012–19(01)/2011–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 48 के खण्ड (ख) एवं उसके उपखण्ड (एक) से (पाँच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित महानुभावों को उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) में सदस्य के रूप में नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	नाम	पता	सदस्यता की श्रेणी/धारा
1	2	3	4
1.	श्री श्याम सुन्दर कालरा पुत्र श्री दयानन्द कालरा	10, विवेकानन्द नगर, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	मण्डी समिति सदस्य/धारा 48(ख)
2.	श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री श्रीभगवान गुप्ता	अग्रवाल भवन, बाईपास रोड, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)	मण्डी समिति सदस्य/धारा 48(ख)
3.	श्री अमित पुरोहित पुत्र श्री हरिबल्लभ पुरोहित	ग्राम खमियां नं0 1, जवाहर नगर, पो0ओ0–नगला डेरी फार्म, पन्तनगर किच्छा (ऊधमसिंह नगर)	मण्डी समिति सदस्य/धारा 48(ख)
4.	श्री जसविन्दर पाल सिंह पुत्र स्व0 बुलाका सिंह	निवासी आईडिया कॉलोनी, ग्राम शिमला पिस्तौर, किच्छा (ऊधमसिंह नगर)	मण्डी समिति सदस्य/धारा 48(ख)
5.	श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	111, खुडबुडा, देहरादून	मण्डी समिति सदस्य/धारा 48(ख)

1	2	3	4
6.	श्री संजय किशोर महेन्द्रू पुत्र श्री गोपी चन्द्र महेन्द्रू	निवासी मेन बाजार, विकासनगर (देहरादून)	व्यापारी सदस्य/धारा 48(ख)
7.	श्री प्रमोद जौहर	48, बी0 टी0 गंज, रुड़की (हरिद्वार)	आढ़ती सदस्य/धारा 48 (ख)
8.	श्री शमशुल हक मलिक पुत्र श्री मौ0 हक मलिक	ग्राम गौरी खेड़ा, पो0 सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)	निजी मण्डी प्रतिनिधि/ धारा 48(ख) (एक)
9.	श्री जय सिंह रावत	ऋषिकेश	कृषि बीमा क्षेत्र प्रतिनिधि/ धारा 48(ख) (दो)
10.	श्री पवन कुमार गंगवार पुत्र श्री हरिराम गंगवार	ग्राम गिद्धपुरी (छिनकी), पो0ओ0 दरऊ (ऊधमसिंह नगर)	निर्यातक प्रतिनिधि/ धारा 48(ख) (तीन)
11.	श्री तरूण पन्त पुत्र स्व0 एच0 सी0 पन्त	छोटी मुखानी, कृष्णा कॉलोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)	कृषि विशेषज्ञ प्रतिनिधि/ धारा 48 (ख) (चार)
12.	श्री पुष्कर राज जैन	गल्ला मण्डी, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	संविदा कृषि प्रतिनिधि/ धारा 48(ख) (पाँच)

2. उक्तानुसार नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम की धारा 50 के प्राविधानों के अधीन रहते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष का होगा।

3. उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नामित सदस्यों द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रबन्ध निदेशक, मण्डी बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा कि उक्त महानुभाव अधिनियम की उस सुसंगत धारा के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं, जिसके अन्तर्गत उनको नामित किया गया है।

आज्ञा से,

ओमप्रकाश,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/776–भाग 1–2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 ई0 (अग्रहायण 24, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि—अनुभाग)

18 अप्रैल, 2012 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर अधिकारी।

पत्रांक 263 / आयु0क0उत्तरा0 / विधि—अनुभाग / 12—13 / पत्रा0—20 (10—11)देहरादून—शासन के पत्र संख्या 331 / 2012 / 141(120) / XXVII(8) / 08 / दि0—17.04.2012, जिसके द्वारा रोड साईड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली कैन्टीन एवं रेस्टोरेन्ट / फूड प्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है और जो गैर वातानुकूलित है, के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि के लिए मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) में देयकर के स्थान पर एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने से अवगत कराया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

उक्त शासन के पत्र की छायाप्रतियां संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन की दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक–'क'

रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है और जो गैर वातानुकूलित है, के लिये मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश :–

1. यह योजना स्वैच्छिक है और योजना का लाभ योजना अपनाने वाले करदाताओं द्वारा शर्तें पूर्ण करने पर ही अनुमन्य होगा।
2. उक्त योजना दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2015 की अवधि के लिये लागू होगी।
3. इस योजना का लाभ केवल ऐसे रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स को अनुमन्य होगा, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है और जो गैर वातानुकूलित हैं।
4. योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारूप 1 में अपना प्रार्थना–पत्र योजना लागू होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। नया व्यवसाय आरम्भ करने वाले व्यवसायी भी व्यवसाय आरम्भ करने के एक माह के अन्दर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
5. प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 2 में एक शपथ–पत्र भी योजना लागू होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
6. प्रार्थना–पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में विलम्ब क्षमा का अधिकार आयुक्त कर को होगा।
7. यह योजना केवल ऐसे रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीन एवं रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स सम्बन्धी व्यवसायियों को ही अनुमन्य होगी जिनके द्वारा प्रान्त के बाहर से अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई आयात नहीं किया जाता है और जिनके प्रतिष्ठान गैर वातानुकूलित हैं। योजना स्वउत्पादित उत्पाद यथा पका भोजन, नाश्ता आदि के लिए ही अनुमन्य होगी।
8. इस योजना का लाभ केवल ऐसे गैर वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइण्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक और जो किसी होटल/मोटल/टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स/गेस्ट हाऊस व रिसोर्ट के परिसर में स्थित या उसके अंग नहीं हैं एवं जिनके यहां Temprature Control Device यथा Air Conditioning, Heating आदि की सुविधा नहीं है व जिनके यहां ग्राहकों को बैठने के लिये 40 सीट तक की ही व्यवस्था है, अनुमन्य होगी।
9. इस योजना को अपनाने वाले व्यवसायियों को पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा और नहीं इन्हें इनपुट टैक्स का लाभ देय होगा।
10. योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने ढाबा/औद्योगिक प्रतिष्ठान/कैन्टीन की सकल बिक्री (मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से देय राशि के समतुल्य समाधान राशि के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में अगले माह की 25 तारीख तक अपने रूप–पत्र सहित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी।
11. यह योजना केवल एक स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठान को ही अनुमन्य होगी।
12. योजना अपनाने वाले करदाताओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की आवश्यकतानुसार करनिर्धारण अधिकारी के स्तर से जांच की जायेगी और यदि योजना की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी तत्काल इसकी सूचना अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उपलब्ध करायेंगे और ऐसे करदाता के सम्बन्ध में योजना को चालू रखने अथवा समाप्त करने का अधिकार सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का होगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा। ज्वाइन्ट कमिश्नर योजना रद्द करने सम्बन्धी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का अवसर देंगे। योजना से बाहर होने पर सम्बन्धित करदाता के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य कर निर्धारण आदि की कार्यवाही की जायेगी।
13. औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में चलाई जा रही कैन्टीन की बिक्री की सत्यता की जांच सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान/कार्यालय से भी की जा सकेगी।
14. ऐसे करदाता जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया हो और जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हुई हो को पृथक से करनिर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता न होगी।

प्रारूप—1

रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है तथा जो गैर वातानुकूलित है, के लिये मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र :—

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.................................

मण्डल/उपमण्डल.........

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री...जिसका मुख्यालय..पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में .... कार्यालय .... द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण—पत्र संख्या .... दिनांक .... से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड .... मण्डल/उपमण्डल .... के कार्यालय में दिनांक .... को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/साझीदार .... हूँ। मैंने रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स व्यवसाय के सम्बन्ध में वर्ष 2012—2013, 2013—2014 एवं 2014—2015 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्णरूप से सुन लिया है और भलीभॉती समझ लिया है। उक्त निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन मैं, यह प्रार्थना—पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं, उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वर्ष 2012—2013, 2013—2014 एवं 2014—2015 में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि, संलग्न शपथ—पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को त्रैमासिक आधार पर बिक्री के रूप—पत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। एकमुश्त धनराशि को शपथ—पत्र/अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के अनुसार जमा करुंगा। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी भी कारण से मेरा यह शपथ—पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01.04.2012 को कैन्टीन/रेस्टोरेन्ट/व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थिति निम्नप्रकार है :—

क्रसं0	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सियां
3.	मेज
4.	फ्रिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं, यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरा उक्त प्रतिष्ठान वातानुकूलित नहीं है तथा व्यवसाय चलाने हेतु .... क्षमता का बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक................................

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

प्रास्थिति..

प्रमाणीकरण

मैं, इस प्रार्थना—पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.. के स्वामी/साझीदार ....हैं, तथा इस प्रार्थना—पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

पूरा पता..

प्रारूप—2

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड..
मण्डल/उपमण्डल......................

मैं, ... पुत्र श्री .... आयु लगभग.. वर्ष, स्थायी निवासी .... (पूरा पता) शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. मैं, फर्म सर्वश्री .... जिसका मुख्यालय .... (पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी/साझीदार .... (प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ—पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है :—

1. मुख्यालय	उत्पाद

3. उक्त कैन्टीन/रेस्टोरेन्ट/रोड साइड ढाबा में होने वाली की बिक्री पर देय करके स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी—पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें, आदेश, प्रतिबन्ध, मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4. यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा त्रैमासिक आधार पर रूप—पत्र सहित कुल बिक्री (मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—I में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।

5. हमारा/मेरा प्रतिष्ठान नया अथवा दिनांक .... से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ङ) (ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक .... से बिक्री प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि मैं, आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।

6. यदि वित्तीय वर्ष 2012—2013, 2013—2014 एवं 2014—2015 के लिये मेरा धारा 7 की उपधारा (2) में प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ—पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक—1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथ वाणिज्य कर विभाग, उल्लिखित कार्यवाहियां, मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

7. मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और न ही मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर...

पूरा पता..

प्रास्थिति..

घोषणा

मैं, ... उपरोक्त घोषणा करता हूं कि शपथ—पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर—1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूं कि इस शपथ—पत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर...

नाम...

प्रास्थिति..

साक्षी के हस्ताक्षर...

नाम एवं पता...

तिथि एवं स्थान..

18 अप्रैल, 2012 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर अधिकारी।

पत्रांक 264/आयु0क0उत्तरा0/विधि—अनुभाग/12—13/पत्रा0—56 (08—09)देहरादून—शासन के पत्र संख्या 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06/दि0—17.04.2012, जिसके द्वारा सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किये जाने विषयक् से अवगत कराया गया। (छाया प्रति संलग्नक)

उक्त शासन के पत्र की छायाप्रतियों संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन की दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक—1

शासन के निर्देश

सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर के विकल्प में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान राशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश :—

(1) शासन ने यह निर्णय लिया है कि अविभाजित सिविल संविदाओं के सम्बन्ध में सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जाये:—

(2) सिविल संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकारों से है जो प्रस्तर—क में उल्लिखित कार्य को करते हैं अथवा प्रस्तर—क में उल्लिखित कार्य के लिए हुई संविदा के अधीन प्रस्तर—क के कार्य के साथ—साथ प्रस्तर—ख, ग, घ और ङ में उल्लिखित कार्य या समस्त कार्य करते हैं—

(क) सिविल कार्य जैसे कि भवनों, पुलों, सड़कों, बांधों, शेड्स, बैराजों, कॉजवे, उत्पलमार्ग (स्पिलवेज), डाईवर्जनों का निर्माण, मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य ;

(ख) स्ट्रैक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, ग्रिल्स, शटर्स तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुयें यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये ;

(ग) टाइल, स्लैब, पत्थरों तथा शीट्स आदि का लगाना, यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये ;

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यों का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य ;

(ङ) भवनों की रंगाई व पुताई का कार्य।

(3) विद्युत संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकार से है, जो निम्न में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते हो :—

(क) भवनों के अन्तः या वाह्य वायरिंग, जिसमें बिजली के पोल, केबिल, ओवर हैड लाईन, स्ट्रीट लाईट की लाईटनिंग एवं स्थापना शामिल है ;

(ख) मेन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना ;

(ग) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेक्रेट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखों की स्थापना ;

(घ) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात् स्विच गेयर, पैनल डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना ;

(ङ) अर्थिंग उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना ;

(च) विद्युत अधिष्ठानों / उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

(4) समाधान राशि का आंकलन अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की कुल धनराशि में से संविदी द्वारा आपूर्ति किये गये ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात् प्राप्त धनराशि पर की जायेगी, जिसका उल्लेख संविदा में हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदाओं में मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमें संविदाकार को प्राप्त होने वाली धनराशि में से अर्थवर्क के सम्बन्ध में संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली धनराशि घटा दी जायेगी तथा अवशेष धनराशि पर समाधान धनराशि की गणना निम्न प्रकार से की जायेगीः—

(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया हो, जिसमें उक्तानुसार आगणित धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया हो, जिसमें उक्तानुसार आगणित धनराशि के 6 प्रतिशत की दर से निर्धारित की जायेगी।

विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि निम्न प्रकार आगणित की जायेगीः—

(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया हो, उसमें निष्पादित ठेके की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का प्रयोग किया हो उसमें निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 6 प्रतिशत की दर से निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबंध यह है कि प्रदेश के बाहर से आयात करने वाले उपरोक्त दोनों प्रकार के संविदाकारों के लिये संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल आयात करने पर यह विकल्प होगा कि वह संकर्म संविदा के निष्पादन से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क जमा कर दें तथा ऐसी दशा में कर निर्धारण से सम्बन्धित प्राविधान लागू नहीं होंगे। प्रतिबंध यह भी है कि 6 प्रतिशत का विकल्प लेने वाले संविदाकार को बाद में 4 प्रतिशत का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(5) संविदाकार को अनुबन्धवार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जाँच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना सिद्ध नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुए आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसकी बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ—साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जायेगी।

(6) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

(7) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

(8) संविदाकार द्वारा देय कुल समाधान राशि संविदा प्रारम्भ होने वाले वर्ष एवं संविदा के पूर्णरूप से निष्पादित होने वाले वर्ष के मध्य देय होगी। सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 2012 या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली धनराशियों पर 4 प्रतिशत/6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि अथवा प्रत्येक तिमाही में निष्पादित किए गए कार्य के सम्बन्ध में देय समाधान राशि, जो भी अधिक हो, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों की समाप्ति के 25 दिन के अन्दर जमा की जाएगी। संविदा पूर्णरूप से निष्पादित होने वाली तिमाही के पश्चात् अवशेष समाधान राशि 25 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा की जाएगी। उदाहरणार्थ किसी संविदाकार को प्राप्त संविदा के सम्बन्ध में निर्माण कार्य मई, 2012 से प्रारम्भ होकर जनवरी, 2014 में समाप्त होना है, तब समाधान राशि वर्ष 2012–2013 की चारों तिमाही तथा वर्ष 2013–2014 की प्रथम तीन तिमाही के लिए उपरोक्तानुसार जमा की जाएगी तथा प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित कुल समाधान राशि में से वर्ष 2012–2013 में तथा 2013–2014 की प्रथम तीन तिमाही हेतु संविदाकार द्वारा जमा की गई श्रोत पर कटौती की गई धनराशि को घटाने के बाद अवशेष समाधान राशि वर्ष 2013–2014 की चतुर्थ तिमाही की समाधान राशि के रूप में 25 अप्रैल, 2014 तक जमा की जाएगी। निश्चित समय के अन्दर समाधान राशि जमा न करने पर ऐसे संविदाकार पर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

संविदा के पूर्णरूप से निष्पादित होने वाली तिमाही तक उस संविदा के सम्बन्ध में संविदाकार के संविदा से पूर्ण भुगतान प्राप्त न होने तथा समस्त समाधान राशि जमा होने की स्थिति में उस संविदा से सम्बन्धित शेष भुगतान के समय श्रोत पर कोई कटौती न किये जाने से सम्बन्धित आदेश जारी किए जायेंगे।

(9) यह योजना ऐच्छिक होगी और संविदाकार इसे न अपनाना चाहे उनका नियमित कर निर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं वह ऐसे प्रार्थना–पत्र प्ररूप में संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने असिस्टेन्ट कमिश्नर/कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी धनराशि पर प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क भी जमा किया जायेगा। जो धनराशि संविदी द्वारा काटी जा चुकी है, उसका उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र देने पर धारा 35 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटा दी जाएगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 90 दिन के अन्दर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित दिया जा सकता है।

(10) यह योजना 01.04.2012 से 31.03.2015 तक के लिए लागू की जा रही है। किसी संविदाकार के लिए इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान येाजना का लाभ प्राप्त किया गया है उन्हें अगले वर्ष से संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धों के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आश्यकता नहीं होगी, केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना करनिर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

(11) समाधान योजना में शामिल होने के प्रार्थना–पत्र के साथ संविदाकार को इस बात का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा कि उसके द्वारा संविदाकारों पर लगाए जाने वाले कर, स्रोत पर कटौती के बारे में उच्च/उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका नहीं दायर की गई है तथा यदि दायर की गई है तो वापस ले ली गई है। तत्पश्चात् ही समाधान योजना में शामिल होने पर विचार किया जाएगा।

(12) जो संविदाकार एक से अधिक जनपदों में कार्य करते हैं वह अपने मुख्यालय की घोषणा कमिश्नर, वाणिज्य कर को करेंगे, जिसकी प्रति सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक प्राधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे अधिकारियों जहां से उनको संविदा के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त होता है, को भी इस सम्बन्ध में सूचित करेंगे। जिन संविदाकारों का मुख्यालय उत्तराखण्ड के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा

उत्तराखण्ड के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो, ऐसे संविदाकार, उत्तराखण्ड के अन्दर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे, जिसकी सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा विभिन्न कर निर्धारक प्राधिकारियों को भी देंगे। यदि उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो कमिश्नर, वाणिज्य कर को मुख्यालय घोषित करने का अधिकार होगा।

(13) धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(14) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 में भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी तथा साथ ही साथ धारा 58 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

(15) यदि किसी संविदाकार से धारा 35 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) जहां पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गयी हो वहां उप संविदाकार (सब कान्ट्रेक्टर) पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा।

(17) जहां पर आंशिक या पूर्ण कार्य उप संविदाकारों द्वारा किया जा रहा है, वहां पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गयी हो, तो उप संविदाकार (सब कान्ट्रेक्टर) को किये गये भुगतान की धनराशि मुख्य संविदाकार की धनराशि में से तभी घटाई जायेगी, जब यह प्रमाणित हो जाय कि उप संविदाकार, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत है और उसके द्वारा दाखिल कर विवरणी में उपरोक्त धनराशि शामिल कर ली गयी है। यदि मुख्य संविदाकार प्रस्तर 4(क) के अनुसार समाधान योजना के पात्र हैं परन्तु उप संविदाकार प्रस्तर 4(क) से भिन्न शर्त के अनुसार संविदा निस्तारण करता है अर्थात् 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग संविदा के निष्पादन में करते हैं तो ऐसे उप संविदाकारों को प्रस्तर 4(ख) के अनुसार समाधान राशि देनी होगी।

(18) यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र/शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही कर सके।

(19) सिविल संविदाओं/विद्युत संविदाओं के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा।

(20) योजना की व्यवहारिकता व उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।

(21) किसी वित्तीय वर्ष से योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा योजना की निर्धारित समाधान धनराशि में बढ़ोत्तरी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा किन्तु जिस दिन से राज्य सरकार समाधान योजना न लागू करने का निर्णय लेती है, उस दिन तक प्रारम्भ की गई संविदाओं के कार्य पर तत्समय लागू योजना का लाभ उस संविदा के सम्बन्ध में दिया जायेगा और उस दिन के बाद की संविदाओं से सम्बन्धित कार्य पर नए प्राविधान लागू होंगे।

सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों के लिये उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र (प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अलग–अलग)

सेवा में,

अस‍िस्टेन्ट कमिश्नर/कर निर्धारक
प्राधिकारी खण्ड।

महोदय,

मैं, फर्म .... जिसका मुख्यालय.. . पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 अथवा 16 में वाणिज्य कर कार्यालय .... द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र सं0 .... दिनांक .... से प्रभावी जारी किया गया है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिये असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड .... मण्डल/उप मण्डल.. के कार्यालय में दिनांक .... को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार .... हूँ। मैं यह प्रार्थना–पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी फर्म ने उक्त वर्ष में .... (जिसे आगे तथा संलग्न शपथ–पत्र में एम्प्लायर कहा गया है) से वर्क कान्ट्रेक्ट का ठेका कार्य लिया है। उस पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में दिये गये शासन के निर्देशों को हमने तथा हमारी फर्म में हितबद्ध व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है यह सब हमें स्वीकार्य है।

(2) उक्त वर्क्स कान्ट्रेक्ट का विवरण संलग्न शपथ–पत्र में है तथा वर्क्स कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंट की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है।

(3) मैं, वित्तीय वर्ष .... में उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ–पत्र/अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ।

(4) उक्त वर्ष के लिये धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि ₹ .... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है व सम्बन्धित एम्प्लायर ने धारा 35 में कटौती कर ली है, जिसके चालान व प्रमाण–पत्र संलग्न हैं और जिनका विवरण नीचे अंकित है।

चालान का विवरण

चालान नं0	तिथि	राशि	बैंक का नाम व शाखा जिसमें राशि जमा की गयी	संलग्न चालान तथा संख्या

धारा 35 में की गयी कटौती का विवरण

विभाग व अधिकारी का पदनाम जिसने कटौती की	की गयी कटौती की धनराशि	वर्क्स कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट का विवरण जिसके अन्तर्गत कार्यावधि	वर्क्स कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत एम्प्लायर से प्राप्त भुगतान की तिथि	राशि	संलग्नक प्रमाण–पत्र तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं। उनमें कोई भी गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

प्रास्थिति ....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म .... के स्वामी/साझीदार/ .... हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ....

पूरा पता ....

जमा का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री .... (पूरा पता) .... द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि में किये गये वर्क्स कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट संख्या .... तिथि .... तथा कुल राशि के विरुद्ध उन्हें दिनांक .... को ₹ .... की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा उन्हें उक्त अवधि में ₹ .... मूल्य का मैटीरियल निम्न विवरण के अनुसार दिया गया है:–

अवधि	मूल्य	दिये गये मैटीरियल का नाम	मात्रा	दिये गये मैटीरियल के सम्बन्ध में किये जा रहे भुगतान में से काटी गयी राशि	अन्य राशि जिसकी कटौती की गयी, कटौती की राशि का प्रकार	भुगतान की गयी राशि	विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8

उनसे उक्त अवधि में कर के रूप में ₹ .... की कटौती की गयी है, जिसे निम्न प्रकार वैट खाते में जमा करा दिया है।

काटी गयी धनराशि	चालान सं0–तिथि चालान	बैंक का नाम व शाखा जहां राशि जमा की गयी

प्रमाण–पत्र जारी करने वाले

अधिकारी के हस्ताक्षर..................................

पदनाम ....

कार्यालय की मोहर ....

शपथ—पत्र/अनुबन्ध

मैं, ... पुत्र श्री ....
वर्ष .... स्थाई निवासी ....
(पूरा नाम) .... शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :—

1. मैं, फर्म सर्वश्री .... जिसका मुख्यालय ... . (पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी/साझीदार/.. (प्रास्थिति) हूं तथा यह शपथ—पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष .... के लिए धारा 7 की उपधारा (2) में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	नाम	पूरा पता	व्यवसाय की प्रकृति	विशेष विवरण
1.	मुख्यालय			
2.	शाखाएं (अ) (ब) (स)			

3. मेरी फर्म द्वारा उपरोक्त वर्ष में किये गये वर्क कान्ट्रेक्ट का विवरण निम्नवत् हैं :—

इम्प्लायर का नाम व पता	वर्क का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि
1	2	3	4	5

प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा 35 में की गई कटौती की तिथि धनराशि	इम्प्लायर द्वारा दिये गये मैटीरियल का विवरण		विशेष
		वस्तु	मूल्य	
6	7	8क	8ख	9

4. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उपरोक्त वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर देय समाधान राशि ₹ .... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा इम्प्लायर द्वारा कटौती कर ली गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं :—

इम्प्लायर का नाम व पता	वर्क का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि
1	2क	2ख	3	4

प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा 35 में की गई कटौती की तिथि धनराशि	इम्प्लायर द्वारा दिये गये मैटीरियल का विवरण वस्तु मूल्य	विशेष
5	6	7	8

5. प्रस्तर तीन में अंकित वर्ष में मेरे द्वारा इस शपथ—पत्र में उल्लिखित वर्क कान्ट्रेक्ट के अतिरिक्त अन्य कहीं पर कोई भी वर्क कान्ट्रेक्ट का कार्य नहीं किया गया है और न किसी वर्क कान्ट्रेक्ट के विरुद्ध कोई धनराशि प्राप्त की गयी है।

6. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।

7. अनुलग्नक—1 में अंकित निर्देशों तथा शर्तों को हमने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है यदि एकमुश्त समाधान धनराशि की मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाती है तब मेरी फर्म इस शपथ—पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक—1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने शासन अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिए गए निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निवाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिए गए निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाही मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगी।

घोषणा

मैं, ... उपरोक्त घोषणा करता हूं कि शपथ—पत्र/अनुबन्ध के प्रस्तर—1 से 7 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सम्पूर्णतया सत्य है और कोई तथ्य छिपया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र तथा उसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और दिशा निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर शपथकर्ता ....
नाम	पूरा नाम ....
पूरा पता	प्रास्थिति ....
समय	समय ....
स्थान	स्थान ....
दिनांक	दिनांक ....

कुमकुम गुप्ता,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

विज्ञप्ति

04 सितम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 2435/आयु0क0उत्तरा0/विधि—अनुभाग/2012—13/देहरादून—ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर ने अपने पत्र संख्या 1003/ज्वा0कमि0 (कार्य0)वा0क0का0/12—13/विधि—अनु0/दिनांक—25.08.2012, द्वारा कुल एक व्यापारी के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित व्यापारी की सूची संलग्न करते हुए अधिसूचना इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां, पंजीयन निलम्बन की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

अिसस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
खण्ड—3, काशीपुर।

सेवा में,

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

पत्रांक—240 / असि0कमि0वा0क0खण्ड—3, का0 / 2012—13 / दिनांक 04 अगस्त, 2012।

महोदय,

निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कार्यरत फर्म सर्वश्री ईशा टिम्बर, जसपुर, टिन—05011256196, दिनांक 11.08.2011 से पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा वर्ष 2011—12 में दाखिल त्रैमासिक रूपपत्र—03 का अवलोकन करने पर प्रकाश में आया कि व्यापारी द्वारा घोषित स्टॉक फर्म स्थल को देखते हुए काफी अधिक है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांक 18.07.2012 को व्यापारी के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के समय व्यापारी द्वारा पंजीयन के समय घोषित व्यापार स्थल पर मौ0 हाशिम पुत्र श्री मौ0 अली फड़ स्वामी उपस्थित मिले तथा उनके द्वारा बताया गया कि सर्वश्री ईशा टिम्बर, फर्म स्वामी श्री शादाब द्वारा उक्त फड़ किराये पर लेने के लगभग दो माह बाद ही फड़ छोड़कर चले गये थे और तब से उनके द्वारा इस फड़ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इस व्यापार स्थल पर श्री नईम पुत्र श्री साबिर हुसैन कारपेन्टर द्वारा मजदूरी पर टिम्बर प्रोडक्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। फड़ स्वामी के पुत्र श्री मौ0 हाशिम द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सर्वश्री ईशा टिम्बर के स्वामी कहाँ कार्य कर रहे हैं, ज्ञात नहीं।

उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सर्वश्री ईशा टिम्बर, ल0म0 जसपुर, टिन 05011256196 फर्म स्वामी श्री शादाब अली पुत्र श्री मौ0 शमशेर द्वारा पंजीयन लेते समय घोषित व्यापार स्थल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। चूंकि व्यापारी द्वाारा घोषित व्यापार स्थल पर व्यापार नहीं किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा दाखिल रूपपत्र—03 तथा खरीद बिक्री के अन्य विवरणों में घोषित आंकड़ों में कोई सत्यता नहीं है। व्यापारी द्वारा करावंचन की मंशा के अधीन बिलिंग का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है तथा अन्य फर्मो को बिल जारी किये जा रहे हैं।

अतः उपरोक्त आधार पर राजस्व हित को सर्वोपरित रखते हुए मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 18(1) (0) के अन्तर्गत व्यापारी का पंजीयन दिनांक 25.07.2012 को निरस्त किया गया है। उक्त आशय की सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही हैं।

विनय कुमार पाण्डेय,
असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
खण्ड—3, काशीपुर।

सौजन्या,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

परिपत्र

30 अप्रैल, 2012 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर व
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 467 / आयु0क0उत्तरा0 / विधि—अनुभाग / (पत्र सं0—02) 12—13 / देहरादून—अधिवक्ताओं संघों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों द्वारा प्रत्यावेदनों के माध्यम से मुख्यालय को यह अवगत कराया गया था कि त्रैमास सावधिक विवरणी को ऑन लाईन दाखिल करते समय जो NIL, की रिटर्न ऑन लाईन दाखिल की जाती थी, उसमें सिस्टम द्वारा चालान

संख्या, बैंक का नाम, MICR कोड आदि विवरण की मांग की जाती थी। इस विवरण को दिये बिना फार्म अपलोड नहीं हो पाता था।

उक्त के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 के पत्र संख्या NIC/USU/3715/2012/ दिनांक—27.04.2012 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि सिस्टम में उक्त समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर, प्रेषित की जा रही है।

No. NIC/USU/3715/2012

April 27, 2012

To,

The Commissioner,
Commercial Tax Department,
Uttarakhand.

Subject : Customization in online filing of Quarterly Return in Form-III(A) Format.

Rspected Madam,

Please refer to your letter no. 373/2012-13 dated 24th April, 2012, regarding above subject. A provision has been made available in the online filing software to select NIL Return. And on selecting NIL return option, the system will not require to enter payment (Bank Name/Challan no etc.) details. This option has been incorporated in online filing for Form-IIIA, Form-IIIB and Form-IIIC.

With regards,

SANJAY GUPTA,
Technical Director.

राधा रतूड़ी,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, सम्भागीय परिविहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, हल्द्वानी

कार्यालय आदेश

22 अगस्त, 2012 ई0

पत्रांक 3365/सा0प्र0/दो—4/2012—प्रभारी उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2846/सतर्कता/तीन—44/2006—2011, दिनांक 03 सितम्बर, 2011 एवं अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 2711/सतर्कता/तीन—44/2012, दिनांक 04 अगस्त, 2012 के माध्यम से चालक अनुज्ञप्ति संख्या 67847/के/2000 के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 1567/लाईसेन्स/2011, दिनांक 23.09.2011 के द्वारा अनुज्ञप्ति धारक श्री संजय कुमार पुत्र श्री भगवत शरण अग्रवाल, नि0—वार्ड नं0—23, कर्मचारी कालोनी, टनकपुर, चम्पावत को अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण—पत्रों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा "पता अपूर्ण होने के फलस्वरूप प्रेषक को वापस" टिप्पणी के साथ इस कार्यालय को वापस किया गया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा जन्म तिथि के अतिरिक्त कार्यालय अभिलेखों में गलत पता दर्ज भी करवाया गया है।

अतः, मैं, एस0 के0 सिंह, लाईसेन्सिग अथॉरिटी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालक अनुज्ञप्ति संख्या 67847/के/2000, जो श्री संजय कुमार पुत्र श्री भगवत शरण अग्रवाल, नि0—वार्ड नं0—23, कर्मचारी कालोनी, टनकपुर, चम्पावत, के नाम जारी किया गया है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

एस0 के सिंह,

सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/776—भाग 1—क—2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।